लोक सभा सचिवालय

शोध और सूचना प्रभाग

सूचना बुलेटिन

सं. लार्डिस (ई एंड एफ) 2017/आईबी-3 दिसम्बर 2017

डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना और भारत को लेन-देन में नकदी का कम प्रयोग करने वाली अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना

प्राक्कथन

हाल के कुछ वर्षों में, विभिन्न प्रकार के लेन-देनों में नकदी के प्रयोग को कम करने के लिए विश्वव्यापी प्रयास किए गए हैं। 'द मेक्रोइकनामिक्स ऑफ डी-कैशिंग[1] संबंधी आईएमएफ वर्किंग पेपर ने हाल ही में यह प्रकाशित किया था कि विश्व के अनेक देश चाहे वह विकसित हों या विकासशील अपनी अर्थव्यवस्थाओं में नकद लेन-देन को सीमित करने के लिए पहले ही प्रारम्भिक कदम उठा चुके हैं। इन कदमों में बड़े मूल्य के नोटों को हटाना, नकद लेन-देन की उच्चतम सीमा निर्धारित करना, निर्धारित राशि से अधिक नकद का भुगतान करने की आवश्यकताओं की जानकारी देने की शुरुआत करना, नकदी देश के भीतर लाने और बाहर ले जाने के लिए घोषणा आवश्यकताओं और यहां तक कि नकद लेन-देन पर कर लगाने, जैसे कदम शामिल हैं। इन पहलों का लक्ष्य किसी भी प्रकार धन का उन्मूलन करना नहीं है बल्कि कार्ड और डिजिटल भुगतानों जैसे लेन-देन के अन्य सुविधाजनक, सुरक्षित और पारदर्शी माध्यमों को अपनाकर मुद्रा के नकद घटक में व्यापक कमी करना हैं।

नकदी रहित होने के फायदों और नवीन प्रौद्योगिकियों में हो रही प्रगति को देखते हुए, भारत भी स्वयं को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और जानकार अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने के लिए लक्ष्य के साथ डिजिटल अर्थव्यवस्था बनने का प्रयास कर रहा है। इस दिशा में, देश की डिजिटल अवसंरचना में सुधार हेतु संगठित प्रयास किए जा रहे हैं ताकि नकदी रहित लेन-देन को सरल बानया जा सके और इसे बढ़ावा दिया जा सके तथा भारत को लेन-देन में नकदी का कम प्रयोग करने वाले समाज में परिवर्तित तथा इंटरनेट कनेक्शनों के प्रवेश से तथा स्मार्टफोन उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि से पिछले कुछ वर्षों में प्रचुर मात्रा में डिजिटल भुगतान और नकदी रहित लेन-देन हुए हैं। डिजिटल भुगतान हेतु नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने से न केवल भारत में पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली में परिवर्तन आया है बल्कि इससे बैंकिंग तक पहुंच में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। अब लगातार यह महसूस किया जा रहा है यदि डिजिटलीकरण की क्षमता का पूर्ण उपयोग किया जाता है, तो इससे भारत के सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य में क्रांति आएगी और विकास तथा इक्विटी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जिससे आम आदमी सशक्त होंगे।

नकदीरहित अर्थव्यवस्था की ओर : एक वैश्विक रुझान

भात में 8 नवम्बर, 2016 को उच्च मूल्य के मुद्रा नोटों के विमुद्रीकरण से नकदी और नकदीरहित शबब्द लोकप्रिय बन गए हैं। परंतु भारत नकदीरहित समाज की ओर इतना बड़ा कदम उठाने वाला विश्व का एकमात्र और पहला देश नहीं है। यह वैश्विक रुझान है। पूरे विश्व के देश कागजी मुद्रा के प्रयोग को हटाने अथवा उसे कम करने की दिशा में काफी उन्नति कर रहे हैं। जहां एक ओर ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, वेनेजुएला, संयुक्त राज्य अमरीका और यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने या तो उच्च मूल्य वर्ग के नोटों को हटा दिया है अथवा हटाने का प्रस्ताव रखा है वहीं दूसरी ओर फ्रांस, स्वीडन और ग्रीस जैसे अन्य देशों ने नकद लेन-देन की मात्रा पर प्रतिबंध लगाने, ग्रामीण क्षेत्रों में एटीएम की संख्या कम करने, अथवा बैंकिंग प्रणाली के बाहर रखी जा सकने वाली राशि को सीमित करने का लक्ष्य रखा है। यह अर्थव्यवस्थाएं वास्तव में नकदीरहित नहीं है, क्योंकि एक अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए अभी भी कुछ नकदी की आवश्यकता होती है। अत: कम नकदी इसकी उचित परिभाषा है। विमुद्रीकरण के पश्चात् वित्त मंत्री जी ने भी इस बात पर बल दिया था कि 'डिजिटल लेन-लेन, नकदी लेन-देन का स्थान नहीं लेंगे अपितु ये एक समानान्तर तंत्र है और नकदीरहित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य वास्तव में नकदी लेन-देन को कम करने वाली अर्थव्यवस्था से है, क्योंकि कोई भी अर्थव्यवस्था पूरी तरह नकदीरहित नहीं हो सकती।'

बाक्स-1: डिजिटल लेन-देन

डिजिटल लेन-देन उन लेन-देनों के रूप में परिभाषित किए जाते है, जिनमें उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से धन को अंतरित करने का प्राधिकार देता है निधियां सीधे एक खाते से दूसरे खाते में चली जाती हैं। ये खाते बैंकों, अथवा अन्य संस्थाओं/सेवा प्रदाताओं में कहीं भी हो सकते हैं। ये अंतरण कार्डों (डेबिट/क्रेडिट), मोबाइल वालिट्स, मोबाइल एप्स, नेट बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सर्विस (ईसीएस), इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफर (ईएफटी), इमिडिएट पेमैंट सर्विस (आईएमपीएस) अथवा अन्य समान साधनों के माध्यम से किए जाते हैं।

[1] नकद लेन-देन को कम करना (डी-कैशिंग) को मुद्री को धीरे-धीरे परिचालन से हटाने और इसके स्थान पर अन्य सुविधाजनक परिवर्तनीय साधनों के प्रयोग के रूप में परिभाषित किया जाता है।

बैंकिंग और भुगतान सेवाओं में अंतर

तेजी से बदलते हुए भुगतान परिदृश्य को देखते हुए डिजिटल लेन-देन उन वित्तीय लेन-देनों से संबंधित है जिनमें धन और भुगतान, खाते में धन जमा करना, ऋण लेना, ऋण देना अथवा माल बेचना और सेवाएं प्रदान करना शामिल है। तथापि, आज बैंकिंग और भुगतान सेवाओं के बीच स्पष्ट अंतर है। जहां बैंकिंग में जमाराशि पर सुनिश्चित प्रतिलाभ देने और ऋण देने के कार्य शामिल हैं, वहीं भुगतान में धन के अंतरण का कार्य शामिल है। परंपरागत रूप से भुगतानों को बैंकिंग सेवाओं के समीप होने के कारण बैंकिंग से संबद्ध किया जाता है। तथापि, प्रौद्योगिकी ने भुगतान प्रणाली को परिवर्तित किया है और धन के वास्तविक अंतरण की आवश्यकता को हटा दिया है। आज भुगतान उद्योग पर फाइनटैक कंपनियों अर्थात् डिजिटल अथवा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान को सुकर बनाने वाली कंपनियों का वर्चस्व है। वैश्विक स्तर पर, इस भुगतान प्रणाली को सस्नेह स्वीकार किया गया है और तदनुसार यह सुनिश्चित करने के लिए संरचनात्मक परिवर्तन किए गए हैं कि बैंकों और भुगतान सेवाओं के बीच प्रौद्योगिकी का उपयोग करके किए जाने वाले भुगतान संबंधी क्रांति और प्रतिस्पर्धा से सबसे ज्यादा लाभ उपभोक्ताओं को हो। यूरोपीय संघ (यूके सहित), ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों सहित अनेक प्रगतिशील अर्थव्यवस्थाओं के बारे में यह सत्य है। इन क्षेत्रों का आम विषय भुगतानों के लिए बैंकों के अलावा अन्य साधनों के अधिक प्रयोग को बढ़ावा देना, भुगतान उद्योग में प्रतिस्पर्धा और इस तक पहुंच को बढ़ावा देना है। भारत भी इनसे अलग नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में, भारत के भुगतान परिदृश्य में भी डिजिटल लेन-देनों में जबर्दस्त वृद्धि के साथ ये विकास प्रतिबिम्बित हुए हैं।

डिजिटल भुगतान क्यों किए जाएं?

वैश्विक स्तर पर डिजिटल लेन-देनों में हुई असाधारण वृद्धि के लिए डिजिटल और प्रौद्योगिकी क्रांति, नकदी की उच्च लागत, भुगतान के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक साधनों, भुगतान के क्षेत्र में बैंकों से इतर अनेक भुगतान सेवा प्रदाताओं के प्रवेश तथा उपभोक्ताओं की बढ़ती हुई मांगों तथा उनके द्वारा तात्कालिक और वन टच भुगतान साधनों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।

(एक) **डिजिटल और प्रौद्योगिकीय क्रांति:** प्रौद्योगिकी बढ़ी तेजी से विकसित हो रही है। लोगों और समय की मांग को पूरा करने के लिए, प्रौद्योगिकी ने अनेक नवीन साधनों को बढ़ावा दिया है। आज ई-कामर्स मंचों ने लाखों ऐसे छोटे उद्यमियों को जन्म दिया है, जो वैश्विक बाजार तक पहुंच सकते हैं। लंबी कतारों में खड़े होने की बजाए माउस के एक क्लिक द्वारा जनोपयोगी सेवाओं पर हुए खर्चों का भुगतान किया जा सकता है। इनके अतिरिक्त डिजिटल भुगतान धन के अंतरण में आने वाली बाधाओं को हटाने में एक अहम भूमिका अदा करता है। तुरंत भुगतान से संभावित चूकों से जुड़े जोखिम भी कम हो जाते हैं।

(दो) **नकदी की उच्च लागत:** नकद लेन-देन पर अत्यधिक रूप से निर्भर अर्थव्यवस्था में नई मुद्रा के मुद्रण की लागत, मुद्रा पेटिका की लागत, एटीएम नेटवर्कों को आपूर्ति की लागत, जैसे मुद्रा संबंधी लेन-देन के विभिन्न घटकों में नकद प्रबंधन पर बहुत अधिक लागत आती है। चूंकि भारत की अर्थव्यवस्था अत्यधिक रूप से नकदी पर निर्भर अर्थव्यवस्था है, इससे राजकोष पर लगभग 21,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत आती है। डिजिटल भुगतान से नकदी प्रबंधन और कागजों पर आधारित अन्य भुगतान प्रणालियों पर आने वाली लागत में अत्यधिक कमी आयेगी।

(तीन) **भुगतान के सुरक्षत और सुविधाजनक तरीके:** नकद धन रखने और भुगतान करने में चोरी-डकैती, जान का खतरा तथा जाली मुद्रा जैसे खतरे निहित रहते हैं, अत: भुगतान हेतु सुरक्षित तरीके होना अति आवश्यक है। इसके अतिरिक्त प्रौद्योगिकी उन्नति से डिजिटल और कार्ड के माध्यम से भुगतान के नए और सुविधाजनक माध्यम उपलब्ध हुए हैं।

(चार) **त्वरित और तात्कालिक भुगतान और निपटान:** तकनीकी नवोन्मेष ने मानव जीवन के हर पहलू में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। आज की पीढ़ी लेन-देन हेतु भी ऐसे माध्यम चाहती है जिनसे भुगतान तुरंत किया जा सके। वास्तव में प्रौद्योगिकी ने बेहतर स्केलेबिलिटी (मापनीयता) और आसानी से कम लागत में तुरंत भुगतान में सहायता की है।

(पांच) **गैर-बैंकिंग भुगतान सेवा प्रदाताओं का भुगतान क्षेत्र में प्रवेश:** कार्य को सरल तथा बेहतर बनाने के लिए नयी तकनीकियों का प्रयोग किया जाता है और यह वित्तीय क्षेत्र पर भी लागू होता है। विगत कुछ वर्षों में, बहुत से भुगतान सेवा प्रदाताओं (पीएसपी) जिन्हें फिनटेक कंपनियां कहा जाता है, ने भी भुगतान क्षेत्र में प्रवेश किया है और देश की वित्तीय प्रणाली में लोगों के काम करने के ढंग में परिवर्तन ला दिया है। ये पीएसपी केवल भुगतान, खरीद और धन के अंतरण को ही सुविधाजनक नहीं बनाते, बल्कि लोगों को निवेश, उधार तथा अपने खर्चों पर नजर रखने में भी सहायता करते हैं।

सरकार और जनता को डिजिटल भुगतान के लाभ

डिजिटल भुगतान जनता और सरकार दोनों के लिए लाभकारी है। नकद भुगतान के स्थान पर डिजिटल भुगतान ने लेन-देन की लागत को कम करके; भुगतान की गति में तेजी लाकर; भुगतान की गोपनीयता सुनिश्चित कर; नकद भुगतान से जुड़े अपराधों की संख्या में कमी लाकर; भुगतान में बेहतर पारदर्शिता लाकर जिससे देने और लेने वाले के बीच में लीक की संभावना कम हो जाती है; तथा औपचारिक वित्तीय प्रणाली में पहला प्रविष्टि बिन्दु प्रदान कर भुगतान के तरीके को और अधिक कुशल बनाया है। सुविधाजनक होने के साथ-साथ डिजिटल भुगतानों के और भी लाभ हैं। यदि कुशलतापूर्ण और प्रभावशाली ढंग से प्रदान किये जायें, तो ये इस प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वालों के

वित्तीय व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं। डिजिटल भुगतान के लाभ निम्नलिखित हैं:-

(i) सरकार के लिए लाभ

पारदर्शिता में वृद्धि: नकदी की तरलता के कारण तथा अज्ञात लेन-देन होने पर नकद भुगतान में 'लीकेज' (ऐसा भुगतान जिसमें प्राप्तकर्ता तक पूरी राशि नहीं पहुंचती) तथा फर्जी प्राप्तकर्ता होने की संभावना बनी रहती है, विशेष रूप से सरकार की ओर से धन अंतरण के संदर्भ में। डिजिटल भुगतानों के माध्यम से, भुगतान प्रक्रिया का पता लगाने में आसानी होती है। पहला, प्राप्तकर्ताओं के पास उन्हें मिलने वाली राशि का डिजिटल रिकार्ड रहता है। दूसरा, डिजिटल भुगतानों के लिए, आम तौर पर अधिक कड़े अभिनिर्धारण और प्रलेखन की आवश्यकता होती है, जिससे फर्जी प्राप्तकर्ताओं का पता आसानी से लगाया जा सकता है।

भ्रष्टाचार और कालेधन पर नियंत्रण: यदि सभी लेन-देन इलैक्ट्रानिक माध्यम से किये जाएं, तो इन पर नजर रखी जा सकती है, रिकार्ड रखा जा सकता है और जांच की जा सकती है, जिसके परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार कम होगा और लोग बिना कुछ दिये वह सब प्राप्त कर पायेंगे जो उनका अधिकार है। इससे काले धन पर रोक लगाने में सहायता मिलेगी। काले धन के कारण हमारे कर-आधार तथा कर संग्रहण में कमी, आतंक को बढ़ावा देने के लिए वित्त पोषण, नशीली दवाओं की तस्करी, जाली मुद्रा तथा अन्य कई प्रकार की बुराइयों को बढ़ावा मिलता है। चूंकि डिजिटल वित्तीय लेन-देन से बहीखाते बनाना आसान हो जाता है, अत: डिजिटल वित्तीय लेन-देन से काले धन पर चलने वाली एक समानान्तर अर्थव्यवस्था पर प्रभावपूर्ण ढंग से अंकुश लगाया जा सकेगा।

कर आधार में वृद्धि: डिजिटल भुगतानों से नकदी और धन के प्रवाह में पारदर्शिता आने से कर वंचन कठिन होता है, जिससे राजस्व में वृद्धि होती है। सरकार के लिए कर लगाना, निगरानी रखना और नियंत्रण करना आसान हो जाएगा।

जाली करेंसी नोटों के संचालन पर रोक: चूंकि भारत की अर्थव्यवस्था सदैव नकदी पर निर्भर रहती है, राष्ट्र विरोधी तत्वों ने इसका लाभ उठाया है और उन्होंने देश में बड़ी संख्या में जाली करेंसी नोट संचालित कर दिए। डिजिटल भुगतान के प्रयोग को बढ़ाने और अर्थव्यवस्था में नकद संचालन को कम करके, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को न केवल जाली नोटों पर निगरानी और नियंत्रण रखने और उन्हें जब्त करने में आसानी होगी बल्कि किसी और के लिए जाली नोटों को छापना और संचालित करना भी कठिन होगा। इस तरह डिजिटल भुगतानों से केन्द्रीय बैंक, अर्थव्यवस्था में बढ़ते जाली नोटो की समस्या का समाधान भी कर सकेगा।

लागत में कमी: नकद भुगतान के स्थान पर डिजिटल भुगतानों से दीर्घकाल में लागत में भारी कमी आ सकती है। विशेष तौर पर बड़े पैमाने पर सरकार की ओर से किये जाने वाले सार्वजनिक भुगतानों, जैसे सामाजिक अंतरणों के मामलों में लागत में भारी कमी आ सकती है। इससे सभी प्रकार के कल्याणकारी कार्यक्रमों में बेहतर कुशलता और पारदर्शिता आ सकती है क्योंकि इसके माध्यम से इन कार्यक्रमों के अंतर्गत धन का अंतरण सीधे लाभार्थी के खाते में कर दिया जाता है।

बेहतर वित्तीय समावेशन: अर्थव्यवस्था में नकदी के कम प्रवाह से बैंकिंग सेवाएं सभी के लिए उपलब्ध होंगी, क्योंकि इलैक्ट्रानिक माध्यम, जिसे सरकार बहुत अधिक प्रयास किये बिना भी उपलब्ध करा सकती है, के अतिरिक्त किसी अन्य भौतिक अवसंरचना की आवश्यकता नहीं होगी। सभी के लिए बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता से ऋण प्राप्ति (क्रेडिट एक्सेस) तथा वित्तीय समावेशन में सुधार आयेगा।

बैंकिंग क्षेत्र के हित में: जब लोग डिजिटल भुगतान के अभ्यस्त हो जाएंगे, तो नकदी रखने की मांग कम हो जायेगी। इससे वित्तीय विनियामक अर्थव्यवस्था पर बेहतर नियंत्रण स्थापित कर पायेंगे।

अपराध दर में गिरावट: नशीली दवाओं की तस्करी, धन शोधन, आतंकियों को धन उपलब्ध कराना जैसी राष्ट्र विरोधी और अवैध गतिविधियों के लिए नकद रूप से ही धन उपलब्ध कराया जाता है। डिजिटल लेन-देन में वृद्धि होने से इस तरह के असामाजिक और राष्ट्र-विरोधी तत्वों के लिए इस तरह की घृणित कार्यवाहियों को अंजाम देना कठिन होगा।

(ii) डिजिटल भुगतान से जनता को लाभ

लागत में कमी: नकद भुगतानों के लिए विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में भेजने वाले और प्राप्तकर्ता को नकदी के विप्रेषण या सरकारी अंतरण या बिल की अदायगी हेतु निर्दिष्ट स्थानों जैसे बैंक शाखा, काउंटर या सरकारी कार्यालयों में जाना पड़ता है, जो हो सकता है क्षेत्रीय मुख्यालय या शहर में ही उपलब्ध हों। इससे आने जाने में समय और धन का व्यय होता है। इस प्रकार आने जाने में खर्च हुए धन तथा भुगतान लेने में हुई प्रतीक्षा के संदर्भ में नकद भुगतान महंगे सिद्ध होते हैं।

तीव्र और समय पर सुपुर्दगी: नकद भुगतानों के विपरीत, जो ले जाने वाले की गति पर निर्भर करते हैं, डिजिटल भुगतान वस्तुत: तुरंत हो जाते हैं, चाहे भेजने वाला या प्राप्त करने वाला एक ही शहर, जिले या देश में हो या न हो। आपात स्थितियों, विशेष रूप से स्वास्थ्य संबंधी किसी बीमारी के अचानक आने या प्राकृतिक आपदा के समय तुरंत और समय से हुई सुपुर्दगी अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। चाहे विदेशों से विप्रेषित धन हो या आपदा स्थितियों में जब धन की सर्वाधिक आवश्यकता होती है, सरकारी सहायता का भुगतान डिजिटल माध्यम से बिना किसी विलंब के हो जाता है।

बेहतर सुरक्षा: नकद धन रखने में सड़कों पर होने वाले अपराधों का खतरा बना रहता है। डिजिटल भुगतान से बिना किसी की नजरों में आए लेन-देन किया जा सकता है, जिससे नकदी रखने से जुड़े अपराधों में कमी आएगी। इस प्रकार डिजिटल भुगतानों में जान का जोखिम भी नहीं रहता। तथापि, डिजिटल भुगतान तंत्रों की सुरक्षा में सेंध कद्यो रोकने के लिए सुरक्षा उपायों की व्यवस्था करना महत्वपूर्ण है।

कागज - आधारित भुगतानों के स्थान पर डिजिटल भुगतानों को अपनाना : एक कम नकदी का प्रयोग करने वाली अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर होना

नकदी का प्रयोग 2600 वर्षों से भी अधिक समय से किया जा रहा है। इसने भारतीय मौद्रिक प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वस्तुत:, भारत का नकद-सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) अनुपात, जो कि लगभग 12% है, विश्व के सर्वाधिक अनुपातों में से है। तथापि, 1990 के बाद से नवीन प्रौद्योगिकियों ने नकदी रहित लेन-देन को और

अधिक व्यवहार्य बनाने में सहायता की है। विगत कुछ वर्षों के दौरान, इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों में, मात्रा और उपयोग के मूल्य दोनों ही संदर्भों में काफी वृद्धि दिखाई दी है। आज के समय में जब भारत की गिनती सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी देशों में की जाती है, फिर भी इस तथ्य का प्रभाव भारतीय भुगतान और निपटान प्रणाली पर पूरी तरह नहीं दिखाई देता है। ऐसे में, भुगतानों और अंतरणों के क्षेत्रों में इन प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने का समय आ गया है ताकि भारत के भुगतान परिदृश्य को इसके लोगों और अर्थव्यवस्था के लाभार्थ परिवर्तित किया जा सके।

डिजिटल भुगतानों संबंधी समिति द्वारा दिसम्बर, 2016 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में कहा गया है कि कुल लेन-देन के केवल 20% और व्यक्तिगत उपभोग व्यय के केवल 5% लेन-देन ही डिजिटल रूप से किए गए हैं। जहां तक कार्डों का संबंध है, एटीएम पर डेबिट कार्डों का उपयोग कुल मात्रा के 85% और क्रेडिट कार्ड लेन-देन के कुल मूल्य के 92% के आस-पास है। प्वाइंट ऑफ सेल मशीनों पर उनका उपयोग कुल मात्रा का केवल लगभग 15% और डेबिट कार्ड लेन-देन के कुल मूल्य के 8% के आस-पास है।

विगत वर्षों के दौरान, भारत में भुगतानों और निपटानों को आसान बनाने के लिए निम्नलिखित संस्थागत तंत्रों को उपयोग में लाया जा रहा है:

क्लीयरिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (सीसीआईएल): मुद्रा बाजार, सरकारी प्रतिभूतियों और विदेशी मुद्रा बाजारों में व्यापार के त्वरित तथा सुगम समाशोधन और निपटान हेतु अप्रैल, 2001 में क्लीयरिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (सीसीआईएल) की स्थापना की गई थी।

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगन (एनपीसीआई): खुदरा भुगतानों की सुविधा हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में विभिन्न खुदरा भुगतान प्रणालियों का प्रचालन करने वाले एक मुख्य संगठन के रूप में कार्य करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के गठन को प्रोत्साहित किया है। 2009 के आरंभ में कामकाज की शुरुआत करने के बाद से एनपीसीआई खुदरा भुगतानों में एकरूपता और मानकीकरण के द्वारा अधिक कार्यकुशलता लाने के लिए कार्यरत है। समय के साथ-साथ, इसने ग्राहकों को अधिक सुविधा प्रदान करने हेतु मौजूदा और नवीन भुगतान उत्पादों, दोनों के ही विस्तार और प्रचार-प्रसार में सहायता की है।

भारत की भुगतान प्रणाली मुख्यत बैंक केन्द्रित है, ऐसे में अधिकतर पेमेंट गेटवे का संचालन आरबीआई द्वारा अथवा एनपीसीआई द्वारा किया जा रहा है। वस्तुतः भुगतान उद्योग की यह बैंक केन्द्रित प्रवृत्ति मात्र भारत के लिए ही अनोखी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया और यूनाईटेड किंगडम जैसे क्षेत्राधिकारों में भी अधिकतर भुगतान प्रणालियां बैंकों द्वारा संचालित की जा रही थी। तथापि, इन क्षेत्राधिकारों ने एक विधिक ढांचे को निरूपित किया, जिसने बैंक और गैर-बैंक भागीदारों दोनों के लिए विनियामक समानता प्रदान की और सभी पक्षों हेतु भुगतान प्रणालियों के लिए अंतर्संचालनात्मकता और खुली पहुंच प्रदान की।

भारत में भुगतान उद्योग को विनियमित करने और उसका पर्यवेक्षण करने के लिए विधिक ढांचा: भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007

भुगतान और निपटान प्रणालियां किसी देश की वित्तीय प्रणाली के आधार के रूप में कार्य करती है। विगत वर्षों के दौरान, भारत में कई प्रकार की भुगतान प्रणालियां विकसित हुई हैं जिसमें मैनुअल कागज आधारित समाशोधन से लेकर भुगतान के नकदी रहित तरीकों को सुविधा प्रदान करने वाली रीयल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) प्रणाली शामिल हैं। विभिन्न खुदरा भुगतान प्रणालियों में मैनुअल कागज आधारित अंतरण प्रणाली (इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाओं सहित), कार्ड आधारित भुगतान प्रणालियां, सरकारी प्रतिभूतियां समाशोधन, विदेशी मुद्रा समाशोधन आदि शामिल हैं। 2006 में, एक ऐसे विशिष्ट विधान को अधिनियमित करना आवश्यक समझा गया जो भारतीय रिजर्व बैंक को भारत में भुगतान प्रणालियों हेतु प्रक्रियाओं और प्रचालन/तकनीकी मानकों को विनियमित करने, उनका पर्यवेक्षण करने और उन्हें विहित करने वाले प्राधिकृत प्राधिकरण के रूप में कार्य करने की शक्तियां प्रदान करेगा। तदनुसार, हमारी संसद ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 बनाया। इस अधिनियम के अनुसार, भारत में भारतीय रिजर्व बैंक के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति भुगतान प्रणाली की शुरुआत अथवा उसका संचालन नहीं कर सकता, जब तक कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उसे प्राधिकृत न किया गया हो।

भुगतान प्रणाली संचालकों को विनियमित करने हेतु, भुगतान और निपटान प्रणाली विनियम, 2008 को निरूपित किया गया जो 12 अगस्त, 2008 से प्रभावी हुए हैं। तब से भारतीय रिजर्व बैंक देश में भुगतान प्रणाली संचालकों को विनियमित कर रहा है जिसमें प्री-पेड भुगतान तंत्र, कार्ड योजनाएं, विदेशों से आने वाले धन अंतरण, ऑटोमेटिड टैलर मशीन (एटीह्एम) नेटवर्क और केंद्रीयकृत समाशोधन व्यवस्थाएं शामिल हैं।

भारत का नकदी रहित भुगतान परिदृश्य

किसी देश का केन्द्रीय बैंक सामान्यतः राष्ट्रीय भुगतान प्रणालियों का विनियामक और पर्यवेक्षक होता है। भारत के केन्द्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक को हमारे देश में यह दायित्व सौंपा गया है। विगत वर्षों में, इसने समग्र रूप से लोगों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए देश में सुरक्षित, संरक्षित, कुशल, सुगम्य और प्राधिकृत भुगतान प्रणालियों हेतु कई पहलें की हैं। नकदी रहित भुगतान करने के विभिन्न विकल्प उपलब्ध हैं। इनमें-कागज आधारित साधन, इलेक्ट्रॉनिक साधन और अन्य साधन जैसे प्री पेड प्रणालियाद्वं, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम आधारित और प्वाइंट ऑफ सेल तथा ऑन लाइन लेन-देन शामिल हैं।

कागज आधारित भुगतान

देश के कुल नकदी रहित लेन-देन में सबसे अधिक मात्रा कागज आधारित साधनों (जैसे चेक, ड्रॉफ्ट और ऐसे ही साधनों) की होती है। तथापि, समय के साथ-साथ इन कागज आधारित साधनों की भागीदारी लगातार कम हो रही है और नकद और चेकों की तुलना में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के भारतीय रिजर्व बैंक के संगठित प्रयासों के कारण इलेक्ट्रानिक साधनों की लोकप्रियता बढ़ रही है। यद्यपि, कागज आधारित लेन-देन के उपयोग में कमी लाने पर पूरा जोर दिया जा रहा है, ऐसे में भारत के विशिष्ट सामाजिक-आर्थिक ढांचे को देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक साधनों को पूरी तरह अपनाए जाने में कुछ समय लग सकता है।

इलेक्ट्रॉनिक भुगतान

कई वर्षों से भारतीय रिजर्व बैंक भुगतान और निपटान प्रणाली अवसंरचना में सुधा लाने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों पर ध्यान देने के साथ-साथ बैंकिंग क्षेत्र में हुई तकनीकी प्रगति का लाभ

उठाते हुए नए भुगतान उत्पादों की शुरुआत कर रहा है। वर्तमान में कार्यरत इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियां निम्नलिखित हैं:

(एक) इंटरनेट बैंकिंग: इंटरनेट बैंकिंग, जिसे ऑनलाइन बैंकिंग अथवा ई-बैंकिंग अथवा वर्चुअल बैंकिंग के रूप में भी जाना जाता है, एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली है जो किसी बैंक अथवा अन्य वित्तीय संस्थान के ग्राहकों को वित्तीय संस्थान की वेबसाइट के माध्यम से विभिन्न प्रकार के वित्तीय लेन-देन करने में सहायता प्रदान करती है।

(दो) इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ईसीएस): निगमित संस्थाओं और अन्य संस्थाओं की बड़ी और बार-बार होने वाली भुगतान आवश्यकताओं (जैसे वेतन, ब्याज, लाभांश, भुगतान, आदि) को सुगम बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने 1990 के दशक में ईसीएस योजना की शुरुआत की। ईसीएस (क्रेडिट) योजना विनिर्दिष्ट तिथि को ग्राहकों के खातों में धनराशि जमा करने में सहायक है और वर्तमान में देश के सभी प्रमुख शहरों में यह उपलब्ध है। आरबीआई द्वारा ईसीएस (डेबिट) योजना की शुरुआत यूटिलिटी कंपनियों के आवधिक और बार-बार होने वाले संग्रहों के लिए एक तीव्र साधन उपलब्ध कराने के लिए की गई थी। यह यूटिलिटी कंपनियों के ग्राहकों/अभिदाताओं को उनके खाथों से निकालकर, धनराशि को कंपनियों को भेजने हेतु बैंक शाखाओं को अधिकार-पत्र देकर रोजमर्रा और बार-बार होने वाले भुगतान करने के लिए सुविधा प्रदान करती है। इसने प्रक्रियागत कुशलता और ग्राहक संतुष्टि को सुधारने के अतिरिक्त कागजी दस्तावेजों के उपयोग को काफी हद तक कम कर दिया है।

(तीन) नेशनल ओटोमेटिड क्लियरिंग हाउस (एनएसीएच): एनएसीएच, एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक भुगतान सेवा है, जो बार-बार होने वाले और आवधिक प्रकृति के अंतर-बैंक, बड़ी धनराशि, इलेक्ट्रॉनिक अंतरणों (जैसे राजसहायता, लाभांश, ब्याज, वेतन, पेंशन आदि का वितरण) तथा भुगतानों की प्राप्ति के लिए होने वाले थोक अंतरणों (जैसे टेलीविजन, बिजली, पानी, ऋण, म्युच्युअल फंड में निवेश, बीमा प्रीमियम आदि से संबंधित) की सुविधा प्रदान करती है। इसका उपयोग मुख्यत: बैंकों, वित्तीय संस्थानों, निगमित कंपनियों और सरकार द्वारा धनराशि को भेजने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है।

(चार) रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट (आरटीजीएस) प्रणाली: आरटीजीएस एक धनराशि अंतरण प्रणाली है, जिसमें एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे का अंतरण 'रियल टाइम' और 'ग्रास' आधार पर होता है। 'रियल टाइम' में निपटान का अर्थ है कि भुगतान अंतरण को किसी प्रकार की प्रतीक्षा अवधि में नहीं रखा जाता। 'ग्रास सेटलमेंट' का अर्थ है कि अंतरण किसी अन्य अंतरण के साथ समूह बनाकर अथवा जोड़कर नहीं किया जाता, अपितु वन टू वन आधार पर निपटाया जाता है। एक बार प्रक्रिया शुरू होने के बाद, भुगतान अंतिम होते हैं और इसे वापिस नहीं लिया जा सकता। इसकी शुरुआत 2004 में की गई थी और यह 2 लाख रु. से अधिक के अंतर-बैंक भुगतानों और ग्राहक अंतरणों का निपटान करता है।

(पांच) नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्ज ट्रांसफर (एनईएफटी) प्रणाली: नवम्बर, 2005 में, व्यक्तिगत/निगमित कंपनियों के वन-टू-वन धन अंतरणों की सुविधा हेतु एक और अधिक सुरक्षित प्रणाली की शुरुआत की गई थी। अधिक समय तक उपलब्ध रहने वाली एनईएफटी प्रणाली में घंटों के अंतराल पर समूह निपटान की सुविधा उपलब्ध है, इस प्रकार इसमें धनराशि का अंतरण लगभग वास्तविक समय पर ही होता है।

(छह) तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस): तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस्स) एनपीसीआई द्वारा शुरू की गई भुगतान सेवा है। 2010 में शुरू की गई यह सेवा आज एक बहु-मार्गी और बहु-आयामी धन प्रेषण मंच के रूप में विकसित हो चुकी है। आईएमपीएस मंच आज पी2पी (व्यक्ति से व्यक्ति), पी2ए (व्यक्ति से खाता) और पी2एम (व्यक्ति से व्यापारी) धन प्रेषण और अंतरण करने में सक्षम है और इसे मोबाइल, इंटरनेट के साथ ही एस्टीएम चैनल द्वारा संचालित किया जा सकता है।

अन्य भुगतान प्रणालियां

(एक) प्रीपेड भुगतान साधन: प्री-पेड भुगतान के साधन वे भुगतान के साधन होते है, जो इन साधनों पर सुरक्षित मूल्य के सापेक्ष वस्तुओं और सेवाओं की सेवा प्रदान करते हैं। इन साधनों पर सुरक्षित किया गया मूल्य धारक द्वारा नकद, किसी बैंक खाते से निकासी, अथवा क्रेडिट कार्ड द्वारा भुगतान किए गए मूल्य को दर्शाता है। प्री-पेड भुगतान साधनों का उपयोग स्मार्ट कार्ड, मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड, इंटरनेट खातों, इंटरनेट वॉलेट, मोबाइल खाते, मोबाइल वॉलेट, पेपर वाउचर, आदि के रूप में किया जा सकता है। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की अधिसूचना के उपरांत, भारत में प्री-पेड साधनों को जारी करने और प्रचालन करने के लिए देश में प्री-पेड भुगतान साधनों के मुद्दे को विनियमित करने के लिए जनहित में दिशानिर्देश जारी किए गए थे।

बैंकों और कंपनियों द्वारा जारी किए गए **मोबाइल वॉलेट** भी एक प्रकार के प्री-पेड भुगतान साधन ही हैं। मोबाइल वॉलेट नकदी को डिजिटल रूप में अपने साथ रखने का एक तरीका है। खरीदारी, भुगतान करने के लिए प्लास्टिक कार्ड का उपयोग करने के स्थान पर स्मार्टफोन अथवा टेबलेट का उपयोग किया जा सकता है। डिजिटल वॉलेट में धनराशि जमा रखने के लिए किसी व्यक्ति का खाता इससे जोड़ने की आवश्यकता होती है। अधिकतर बैंकों के पास अपना ई-वॉलेट है। कुछ निजी कंपनियां भी ई-वॉलेट की सुविधा प्रदान करती हैं, इनमें पेटीएम, फ्रीचार्ज, मोबीक्विक, ऑक्सीजेन, एमरूपी, एयरटेल मनी, जियो मनी, एसबीआई बड्डी, आईटीजेड कैश आदि शामिल हैं।

बैंकों के प्री-पेड कार्ड एक तरह से पैसा अपने साथ लेकर चलने के प्लास्टिक के विकल्प हैं और इन्हें अक्सर रोजमर्रा के कार्ड कहा जाता है। प्री-पेड डेबिट कार्ड में धनराशि को बार-बार डाला जा सकता है, इस कार्ड से धारक केवल उतनी ही धनराशि खर्च कर सकता है जितनी धनराशि उसमें पहले से जमा है। आम डेबिट कार्ड की तुलना में ये कार्ड ज्यादा सुरक्षित भी हैं। कोई भी इस कार्ड में एक निश्चित राशि डाल सकता है और इस धनराशि का उपयोग कर सकता है।

(दो) मोबाइल बैंकिंग: मोबाइल बैंकिंग किसी बैंक अथवा अन्य वित्तीय संस्था द्वारा उपलब्ध कराई गई एक ऐसी सेवा है, जिसके द्वारा इसके ग्राहक मोबाइल फोन अथवा टेबलेट जैसे किसी मोबाइल यंत्र का उपयोग कर दूर बैठे विभिन्न प्रकार के वित्तीय अंतरण कर सकते हैं। इस उद्देश्य हेतु यह आमतौर पर ऐप कहे जाने वाले सॉफ्टवेयर, जिसे बैंक अथवा वित्तीय संस्था द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, का उपयोग करता है। प्रत्येक बैंक एंड्रायड, विंडोज और आईओएस मोबाइल प्लेटफार्म हेतु अपना स्वयं का मोबाइल बैंकिंग ऐप उपलब्ध कराता है। आरबीआई के प्रचालन दिशानिर्देशों (अक्तूबर, 2008) के अनुसार, केवल उन्हीं बैंकों को आरबीआई से आवश्यक अनुमति प्राप्त कर मोबाइल बैंकिंग प्रदान करने की अनुमति है, जिन्हें भारत में लाइसेंस प्राप्त है और जिनकी निगरानी की जा सकती है तथा जो भारत में वास्तविक रूप से मौजूद हैं।

(तीन) बैंकिंग कार्ड (डेबिट/क्रेडिट/कैश/ट्रैवल और अन्य कार्ड): बैंकिंग कार्ड भुगतान के अन्य किसी तरीके की तुलना में ग्राहकों को अधिक सुरक्षा, सहूलियत और नियंत्रण प्रदान करता है। उपलब्ध कार्डों-क्रेडिट, डेबिट और प्री-पेड की अनेक किस्में लोगों को बहुत से विकल्प उपलब्ध कराते हैं। वीजा, मास्टरकार्ड और रूपे कार्ड, कार्ड भुगतान प्रणालियों में कुछ उदाहरण हैं। यह कार्ड लोगों को दुकानों, इंटरनेट, मेल-ऑर्डर सूची के माध्यम से और टेलीफोन के द्वारा सामान खरीदने की शक्ति प्रदान करते हैं। वे ग्राहकों और व्यापारियों दोनों ही के समय और पैसे की बचत करते हैं और इस तरह से उनके लिए लेन-देन को आसान बनाते हैं। देश भर में लगाए गए एटीएम को इन कार्डों के माध्यम से किसी भी एटीएम से नकद धनराशि निकालने के लिए उपयोग कर सकते हैं।

(चार) पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस): पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) भुगतान स्वीकार करने वाला ऐसा टर्मिनल है, जिसके माध्यम से कोई इलेक्ट्रौनिक भुगतान किया जा सकता है। ये पीओएस टर्मिनल क्रेडिट/डेबिट कार्ड के द्वारा ग्राहकों को खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं हेतु भुगतान करने में सहायता प्रदान करते हैं।

(पांच) ऑनलाइन संरक्षण: इसके साथ ही, क्रेडिट/डेबिट कार्ड का उपयोग इंटरनेट/आईवीआर (तकनीकी रूप से टेलीफोन पर किए जाने वाले ऐसे अंतरणों के तौर पर संदर्भित जिनमें वस्तुओं, सेवाओं, आदि की खरीद हेतु किसी विक्रेता के भुगतान करने के उद्देश्य से एक स्वचालित प्रणाली में क्रेडिट कार्ड की संख्या दर्ज करनी होती है) पर करने के कारण उत्पन्न होने वाले जोखिमों को कम करने के लिए आरबीआई ने आदेश दिया कि सभी 'कार्ड-नॉट प्रेजेंट (सीएनपी)' अंतरणों को कार्ड पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर अतिरिक्त रूप से प्रमाणित किया जाना चाहिए और ऐसे अंतरणों हेतु कार्डधारकों के पास ओटीपी जैसा ऑनलाइन अलर्ट (चेतावनी) भेजा जाना चाहिए।

(छह) अनस्ट्रक्चर्ड स्पलीमेंटरी सर्विस डाटा (यूएसएसडी): अनस्ट्रक्चर्ड स्पलीमेंटरी सर्विस डाटा के द्वारा साधारण मोबाइल फोन से भी मोबाइल बैंकिंग लेन-देन किया जा सकता है। यूएसएसडी आधारित मोबाइल बैंकिंग के लिए मोबाइल इंटरनेट डाटा सुविधा की आवश्यकता नहीं है। इसका उद्देश्य यह है कि देश के हर आम आदमी को बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर वित्तीय लेन-देन की सुविधा प्रदान की जाए तथा बैंकों का कम प्रयोग करने वाले लोगों को भी बैंकिंग सेवाओं की मुख्यधारा में शामिल किया जाए। बैंकिंग उपभोक्ता अपने मोबाइल पर *99#, जो सभी दूर संचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपीएस) के लिए समान है, डायल करके ये सेवाएं प्रदान कर सकते हैं और मोबाइल की स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाले संवादात्मक मेन्यू का प्रयोग कर लेन-देन कर सकते हैं। इसके अंतर्गत अन्य सुविधाओं के अतिरिक्त इंटर-बैंक अकाउंट इ अकाउंट (एक ही बैंक में एक खाते से दूसरे खाते में) धन अंतरण, खाते में शेष धनराशि का पता लगाने (बैलेंस इंक्वायरी), मिनी स्टेटमेंट, जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

(सात) यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई): यूपीआई अनेक बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन (किसी भी भागीदार बैंक का) में लाकर तथा बहुत सी बैंकिंग विशेषताओं का विलय कर त्रुटिरहित फंड राउटिंग और वाणिज्यिक भुगतान (मर्चेन्ट पेमेंट्स) को एक ही छत्र में लाने की प्रणाली है। यह 'पीअर टू पीअर' संग्रहण अनुरोध की आवश्यकताएं भी पूरी करता है, जिसे सूचीबद्ध किया जा सकता है और आवश्यकता और सुविधानुसार इनका भुगतान भी किया जा सकता है। एंडरायड, विंडो और आईओएस मोबाइल प्लेटफार्म हेतु प्रत्येक बैंक का अपना यूपीआई एप है।

(आठ) माइक्रो एटीएम: माइक्रो एटीएम एक ऐसा उपकरण है, जिसका प्रयोग हर व्यक्ति तक आधारभूति बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंक मित्र, केन्द्रीय जिला सहकारी बैंक, प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटियों, आदि के द्वारा किया जाता है। यह उपकरण टेली-नेटवर्क की उपलब्धता से संचालित होता है। माइक्रो एटीएम का प्रयोग उपभोक्ता पहचान के सबूत के तौर पर केवल अपने आधार नंबर और अंगुलियों के निशान (इंटर बैंकिंग लेन-देन के लिए बैंक पहचान संख्या के साथ) का प्रयोग कर आधारभूत वित्तीय लेन-देन हेतु कर सकते हैं। माइक्रो एटीएम से धनराशि जमा करना, निकासी, धन अंतरण तथा बैलेंस इन्क्वायरी, जैसे आधारभूत लेन-देन किए जा सकते है।

(नौ) आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम (एईपीएस): एईपीएस बैंकों द्वारा चलाया जाने वाला एक ऐसा मॉडल है, जिसमें किसी भी बैंक के बिजनेस कोरस्पोंडेंट (बीसी)/बैंक मित्र आधार प्रमाणीकरण का प्रयोग कर पीओएस (प्वाइंट ऑफ सेल/माइक्रो एटीएम) स्तर पर ऑन लाइन इंटर आपरेबल वित्तीय लेन-देन कर सकते हैं। आधार एनेबल्ड आधारभूत बैंकिंग लेन-देन में बैलेंस इंक्वायरी, नकद निकासी, नकद जमा तथा आधार से आधार धन अंतरण शामिल हैं।

(दस) भीम आधार या आधार पे: भीम आधार, जो आधार पे के नाम से भी लोकप्रिय है, आधार से जुड़े बैंक खातों से भुगतान स्वीकार करने हेतु एक वाणिज्यिक (मर्चेन्ट) उपाय है। भीम आधार/आधार ऐप को व्यापारी के स्मार्टफोन पर डाउनलोड किया जा सकता है और उसकी अंगुलियों के निशान/आंख की पुतली स्कैन करने वाले स्कैनर को स्मार्टफोन से जोड़ दिया जाता है। आधार बायोमैट्रिक से किये गये प्रमाणीकरण से उपभोक्ता इंटरबैंक लेन-देन तत्क्षण कर सकते हैं। यह व्यापारियों द्वारा स्वीकृति संबंधी अवसंरचना (एक्सेपटेन्स इंफ्रास्ट्रक्चर) स्थापित करने में आने वाली लागत को कम करता है। चूंकि इसमें ग्राहक को कार्ड रखने या पिन नंबर याद रखने यो मोबाइल फोन की आवश्यकता नहीं होती, अत: ग्राहकों को भुगतान में और आसानी होती है।

कार्ड और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में उठाए गये कदम तथा की गई पहलें

वित कुछ वर्षों में, भारत सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान के प्रयोग को आरंभ करने, लोकप्रिय बनाने और प्रोत्साहन देने के लिए अनेक सक्रिय उपाय किये हैं। इस संदर्भ में डिजिटल इंडिया भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। अर्थव्यवस्था को 'फेसलेस, पेपर लेस और कैशलैस' बनाना डिजिटल इंडिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में उठाए गये कुछ कदम और की गई पहलें इस प्रकार हैं:

29 फरवरी, 2016 को, वित्त मंत्रालय (आर्थिक मामले विभाग) ने **कार्ड और डिजिटल माध्यमों से भुगतान को बढ़ावा देने के लिए** कुछ दिशा-निर्देश जारी किये। इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य इस प्रकार हैं-

- प्रत्येक व्यक्ति के लिए कार्ड/डिजिटल लेन-देन को और सरल बनाना;
- व्यक्तिगत तौर पर नकद लेन-देन के जोखिमों और लागत को कम करना;
- अर्थव्यवस्था में नकद प्रबंधन की लागत को कम करना;

— बेहतर ऋण सुविधा और वित्तीय समावेशन हेतु लेन-देन का ब्यौरा बनाना;

— कर परिहार को कम करना; और

— जाली मुद्रा के प्रभाव को कम करना।

भारतीय रिजर्व बैंक ने जून 2016 में 'भारत में भुगतान और निपटान प्रणाली: विजन 2018' संबंधी एक दस्तावेज प्रकाशित किया है, जिसमें भारत में इलैक्ट्रानिक भुगतान को प्रोत्साहन देने की योजना है। आरबीआई के विजन 2018 का उद्देश्य निम्नलिखित चार महत्वपूर्ण पहलों पर ध्यान केन्द्रित कर भारत में सर्वश्रेष्ठ भुगतान और निपटान प्रणाली का निर्माण करना है:- (1) अनुक्रियावादी विनियमन (2) विशाल अवसंरचना (3) प्रभावशाली निरीक्षण (4) उपभोक्ता केन्द्रित प्रणाली

डिजिटल भुगतान संबंधी समिति का गठन वित्त मंत्रालय द्वारा देश में डिजिटल भुगतान के प्रयोग को प्रोत्साहित करने हेतु उचित उपायों की समीक्षा तथा सिफारिश करने हेतु किया गया है। श्री रतन पी विट्ठल, प्रधाद्दन सलाहकार नीति आयोग की अध्यक्षता में समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ भुगतान विनियमन को केन्द्रीय बैंक के कार्यकरण से स्वतंत्र बनाने; भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 को अद्यतन करने; सरकारी कार्यकरण में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने तथा जागरूकता और पारदर्शिता स्थापित करने की सिफारिश की।

कार्ड और डिजिटल साधनों के माध्यम से भुगतान को बढ़ावा देने हेतु एक कार्यबल का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य कैशलेस लेन-देन को और व्यापक बनाने के लिए परिवर्तन हेतु लघु आवधिक उपायों की सिफारिश करना था। कार्यबल ने अपने प्रतिवेदन (2016) में नोट किया कि भारत में भुगतान अवसंरचना और संचालन भुगतान प्रणाली से जुड़े अन्य बहुत से भागीदारों को दर किनार कर बैंकों का ही अधिकार होता है। अत: लागत में कमी, नवोन्मेष को सुकर बनाने तथा बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भुगतान उद्योग में नवोन्मेष को बढ़ावा दिया जाना चाहिये तथा बैंकिंग और गैर बैंकिंग प्रणाली में प्रतियोगिता को बढ़ावा देने के लिए विनियामक उपाय अपनाए जाने चाहिये।

विमुद्रीकरण: काले धन को खत्म करने, जाली भारतीय करेंसी नोटों के प्रवाह और प्रचलन पर रोक लगाने तथा डिजिटल भुगतानों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 8 नवम्बर, 2016 से भारत में 500 और 1000 रुपये के उच्च मूल्य वाले बैंक नोटों को रद्द कर दिया गया था। विमुद्रीकरण के बाद से सरकार डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सम्मिलित प्रयास कर रही है ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था की नकदी पर निर्भरता कम की जा सके। सभी मंत्रालयों से कहा गया है कि वे अपने कर्मचारियों को डेबिट/क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करें। वास्तव में विमुद्रीकरण के बाद से नकदीरहित लेन-देन विशेष रूप से नकदी रहित व्यापार में 200 प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि हुई है।

डिजिटल भुगतान संबंधी मुख्य मंत्रियों की समिति की अन्तरिम रिपोर्ट: 30 नवम्बर, 2016 को नीति आयोग ने डिजिटल भुगतान संबंधी मुख्य मंत्रियों की एक समिति का गठन किया था, जिसके संयोजक आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री माननीय श्री चंद्रबाबू नायडू थे। समिति ने 24 जनवरी 2017 को अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ उपभोक्ताओं और व्यापारियों को डिजिटल खर्च पर कैश बैक, डिजिटल माध्यमों से सरकारी भुगतानों पर रियायत, डिजिटल लेन-देन पर बैंकिंग कारस्पोंडेट (बीसीएस) और छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहन राशि देने जैसे अनेक प्रोत्साहनों की सिफारिश की थी।

डिजिटल भुगतान प्रभाव: दिसम्बर 2016 में भारतीय कम्प्युटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (सीईआरटी-इन), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में एक डिजिटल भुगतान प्रभाग की स्थापना की गई ताकि डिजिटल लेन-देन में सुरक्षा और संरक्षा संबंधी पहलुओं पर कार्य किया जा सके।

भारत इंटरफेस फॉर मनी (भीम): भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल लेन-देन को सुचारू बनाने के लिए 30 दिसम्बर, 2016 को भीम ऐप को आरंभ किया था। यह मोबाइल ऐप के माध्यम से यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) प्लेट फार्म तथा *99# सेवा के माध्यम से यूएसएसडी (अनस्ट्रक्चुर्ड सप्लीमेंटरी सर्विस डाटा) प्लेटफार्म का प्रयोग करके मोबाइल फोन के माध्यम से डिजिटल भुगतान हेतु त्वरित, सुरक्षित और विश्वसनीय मीडियम उपलब्ध कराता है। भीम अन्य यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) और बैंक खातों के साथ अंतर्संचालनात्मक इंटर-ओपरेबल है। इसे भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शन में एनपीसीआई द्वारा विकसित किया गया है। साढ़े चार माह की अवधि में ही भीम ऐप डाउनलोड करने वालों की संख्या 20 मिलियन से भी अधिक हो गयी है तथा इसके माध्यम से लगभग 3000 करोड़ रुपये के मूल्य का लेन-देन हुआ है।

केन्द्रीय बजट (2017-19): डिजिटल अर्थव्यवस्था तथा व्यवस्था में गति, जिम्मेदारी तथा पारदर्शिता स्थापित करना वर्ष 2017-18 के बजट का मुख्य विषय रहा है। डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बजट में कुछ प्रस्ताव पेश किये गये थे, जिनमें निम्नलिखित बातें शामिल हैं: एक विहित सीमा के बाद, सभी सरकारी प्राप्तियों हेतु डिजिटल माध्यमों का प्रयोग अनिवार्य बनाये जाने का प्रस्ताव; पेट्रोल पंपों, उर्वरक डिपो, नगर पालिकाओं, अस्पतालों, कालेजो, विश्वविद्यालयों तथा अन्य संस्थाओं में डिजिटल भुगतान हेतु सुविधाओं को बढ़ावा देना और संभव हो तो अनिवार्य बनाना; एक मिशन आरंभ करना जिसके तहत यूपीआई, यूएसएसडी, आधार पे, आईएमपीएस तथा डेबिट कार्डों के माध्यम से वर्ष 2017-18 के लिए 2500 करोड़ डिजिटल लेन-देन का लक्ष्य निर्धारित करना; भुगतान और निपटान प्रणालियों के विनियमन और पर्यवेक्षण संबंधी बोर्ड के स्थान पर आरबीआई में भुगतान विनियामक बोर्ड का गठन किए जाने का प्रस्ताव आदि।

नकद लेन-देन की सीमा: यद्यपि केन्द्रीय बजट में 1 अप्रैल, 2017 से नकद लेन-देन को 3,00,000 रुपये तक सीमित रहने का प्रस्ताव किया गया था, वित्त विधेयक में संशोधन कर इसे 2,00,000 रुपये कर दिया गया है। इससे नकद लेन-देन में कमी आएगी तथा डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों को बढ़ावा मिलेगा।

डिजिधन अभियान: नकदी रहित लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए इलैक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डिजिधन अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक, छोटे व्यापारियों और दुकानदारों को अपने प्रतिदिन के वित्तीय लेन-देन में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने में समर्थ बनाना है। इस

अभियान के अंतर्गत डिजि शाला नाम का एक फ्री टू एयर (नि: शुल्क) चैनल आरंभ किया गया है ताकि डिजिटल पेमेंट आर्थिक प्रणाली (इकोसिस्टम) के संबंध में ग्रामीण और अर्द्धशहरी इलाकों में जानकारी का प्रसार किया जा सके।

25 दिसम्बर 2016 को 100 शहरों में डिजिधन मेलों के 100 दिन तथा दो प्रोत्साहन योजनाएं - लकी ग्राहक योजना और डिजिधन व्यापार योजना आरंभ की गयी। नीति आयोग द्वारा सूचना, शिक्षा और संप्रेषण अभियानों सहित आयोजित किये गये डिजिधन मेलों का उद्देश्य भारत में डिजिटल भुगतान को जन आंदोलन बनाना है। 14 अप्रैल 2017 को विजेताओं को 1 करोड़ और 50 लाख रुपये के मेगा पुरस्कार दिये गये। इन दो प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत 16 लाख विजेताओं द्वारा 258 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि जीती गयी जिसमें उपभोक्ताओं तथा व्यापारियों सहित देश के विभिन्न भागों और विभिन्न व्यवसायों के लोग शामिल थे।

भीम आधार का आरंभ: 14 अप्रैल 2017 को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा दुकानदारों के लिए भीम आधार प्लेटफार्म की शुरुआत की गई। यह दुकानदारों को उपभोक्ताओं से उनके स्मार्टफोन के माध्यम से बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण का इस्तेमाल करके भुगतान स्वीकार करने हेतु समर्थ बनाता है। उपभोक्ता अपने बायोमैट्रिक डाटा जैसे अपने अंगूठे की छाप व्यवसायी के स्मार्ट फोन जिसमें बायोमैट्रिक रीडर हो, पर देकर डिजिटल रूप में भुगतान कर सकते हैं। कोई भी नागरिक जिसके पास स्मार्ट फोन, इंटरनेट, डेबिट या क्रेडिट कार्ड की सुविधा नहीं है वह भी भीम आधार प्लेटफार्म के माध्यम से डिजिटल रूप से लेन-देन कर सकेगा।

कैश बैक और रेफरेल योजनाएं: 14 अप्रैल, 2017 को भारत के प्रधानमंत्री ने भीम प्रयोक्ताओं हेतु रेफरेल और कैश बैक योजनाएं आरंभ की। 'रेफरेल बोनस स्कीम फॉर इंडीविज्यूलस' के तहत भीम ऐप का प्रयोग कर रहे उस प्रयोक्ता को, जिसने किसी दूसरे व्यक्ति को यह ऐप रेफर किया है तथा इस नए प्रयोक्ता को जिसने इस ऐप को अपनाया, दोनों के कैश बोनस को नये प्रयोक्ता को नये प्रयोक्ता द्वारा इस ऐप के माध्यम से तीन लेन-देन सफलतापूर्वक करने के बाद सीधे उनके बैंक खातों में क्रेडिट कर दिया जाता है। 'कैश बैक स्कीम' के अंतर्गत दुकानदारों को भीम ऐप के माध्यम से किये गये प्रत्येक लेन-देन पर कैश बैक मिलेगा।

सूचना, शिक्षा और संप्रेषण (आईईसी) संबंधी कार्यकलाप: डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिये राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने के लिए यह निर्णय लिया गया था कि 5 करोड़ जन धन खातों को डिजिटल प्लेटफार्म पर लाने के लिए सूचना, शिक्षा और संप्रेषण संबंधी कार्यकलापों हेतु सभी जिलों को 50 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत नकद भुगतान के स्थान डिजिटल भुगतान को अपनाने वाले तथा पांच डिजिटल भुगतान माध्यमों-यूपीाई, रूपे/डेबिट/क्रेडिट/ प्रीपेड कार्ड, एइपीएस, यूएसएसडी और ई-वैलेट में से किसी एक माध्यम से कम से कम दो बार सफलतापूर्वक लेन-देन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 10 रुपये की दर से प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

Cashlessindia.gov.in: डिजिटल लेन-देन के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए इलैक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक नयी वेबसाइट- Cashlessindia.gov.in आरंभ की है। यह वेबसाइट डिजिटल भुगतान के विभिन्न तरीकों के बारे में आधिकारिक और प्रमाणीकृत सूचना प्रदान करती है।

डिजिटल वित्तीय समावेशन, जागरूकता और पहुंच (डीएफआईएए): चूंकि डिजिटल वित्तीय साक्षरता चिंता का विषय है, विशेष रूप से ग्रामीण जनता के बीच अत: नागरिकों विशेष रूप से ग्रामीण और अर्द्धशहरी क्षेत्रों में डिजिटल वित्तीय सेवाओं की आधारभूत जानकारी प्रदान किये जाने की अति आवश्यकता है। इसीलिये डिजिटल वित्तीय समावेशन जागरूकता और पहुंच कार्यक्रम (डीएफआईएए) आरंभ किया गया है ताकि कॉमन सर्विस सेंटरों (सीएससी)[2] के माध्यम से जागरूकता बढ़ायी जा सके। इसका उद्देश्य ग्रामीण नागरिकों के लिए सरकारी नीतियों और डिजिटल वित्तीय विकल्पों के संबंध में जागरूकता सत्रों का आयोजन करके सीएससीएस को डिजिटल वित्तीय केन्द्र बनाना है।

जैसा कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने जानकारी दी है, पिछले दो वर्षों में विशेष रूप से नवम्बर, 2016 में विमुद्रीकरण के बाद से भारत में डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

2015-16 और 2016-17 में डिजिटल भुगतान
(एनपीसीआई के अनुसार)

संचालन एजेंसी	2015-16		2016-17		वार्षिक वृद्धि %	
	मात्रा (मिलियन में)	मूल्य (बिलियन रुपये में)	मात्रा (मिलियन में)	मूल्य (बिलियन रुपये में)	मात्रा	मूल्य
आरबीआई	1252.88	83273.11	1622.10	120039.68	29.47	44.15
एनपीसीआई	1743.91	5388.74	3175.96	11773.49	82.12	118.48
एम-वॉलेट	603.98	205.84	1322.52	459.30	118.97	123.13
आईसीएस	1923.62	3945.39	3053.38	5953.33	58.73	50.89
कुल	5524.39	92813.08	9173.96	138225.80	66.06	48.93

[2] कामन सर्विस सेंटर देश के दूरस्थ, ग्रामीण और अर्द्धशहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की विभिन्न ई-गवर्नेंस और व्यापार सेवाओं को प्रदान करने हेतु एक्सेस प्वाइंट है।

वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियां : सीखी जा सकने वाली बातें

डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने हेतु कुछ देशों द्वारा अपनायी गयी वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियां नीचे बॉक्स में दी गयी हैं:

बॉक्स-2: डिजिटल भुगतान करने पर कर में छूट

- **अर्जेंटीना:** वर्ष 2002 से क्रेडिट या डेबिट कार्ड के प्रयोग से वस्तुओं और सेवाएं खरीदने वाले उपभोक्ताओं को 21% के मूल्य संवर्धित कर (वैट) में इसकी मानक दर से प्रति माह क्रमश: 3 और 5 प्रतिशत प्वाइंट (पर्सेंटेज प्वाइंट) दिये जाते हैं।
- **कोलम्बिया:** वर्ष 2004 से, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का प्रयोग कर वस्तुएं और सेवाएं खरीदने वाले उपभोक्ताओं को 10-16 प्रतिशत वैट में से 2 प्रतिशत प्वाइंट्स वापस प्राप्त हो जाते हैं।
- **उरूग्वे:** इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से लेन-देन करने वाले उपभोक्ताओं और व्यापारियों को सरकार द्वारा कर में छूट/कर में कमी की सुविधा प्रदान की जाती है।
- **साउथ कोरिया:** वर्ष 1994 में क्रेडिट कार्ड बिक्री कर से छूट (सेल्स टैक्स रीलिफ) देने की योजना आरंभ की गई जिसके अंतर्गत जब व्यापारी ऐसी वस्तुएं और सेवाएं, जिन पर वैट लगता है, प्रदान करने के लिए क्रेडिट कार्ड स्वीकार करता है तो टैक्स क्रेडिट की दर से कुल देय टैक्स में से एक विहित धनराशि घटा दी जाती है। वर्ष 1९९9 में सरकार ने क्रेडिट कार्ड आय कटौती (इन्कम डिडक्शन) योजना आरंभ की जिसका उद्देश्य विक्रेताओं (क्रेडिट कार्ड प्रयोक्ताओं) को भुगतान के साधन के रूप में क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल हेतु प्रोत्साहित करना था और इसके लिए उन्हें टैक्स में छूट प्रदान की जाती है।

कुछ देशों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए नकद लेन-देन की सीमा निर्धारित की गई है ताकि नकदी के प्रयोग को हतोत्साहित किया जा सके। कुछ अन्य देशों द्वारा किए गए उपाय नीचे बाक्स में दिए गए हैं:-

बाक्स-3: नकद लेन-देन को हतोत्साहित करने हेतु किए गए उपाय

- **फ्रांस:** उपभोक्ता के रूप में निवासियों को 3000 यूरो से अधिक तथा अनिवासियों को 15,000 यूरो से अधिक नकद लेन-देन की अनुमति नहीं है।
- **पुर्तगाल:** कानून द्वारा उपभोक्ताओं और व्यापारियों के बीच वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त करने पर नकद भुगतान की एक सीमा तय है। कानून के अनुसार 1000 यूरो से अधिक के बीजकों या अन्य ऐसे ही दस्तावेजों का भुगतान बैंक ट्रांसफर, बैंक, डेबिट या नामिनेटिव चेक द्वारा व्यापारी के बैंक खाते में किया जाना चाहिए।
- **स्पेन:** नवम्बर, 2012 से यह सीमा 2500 यूरो (स्पेन के निवासियों के लिए) तथा 15000 यूरो (अनिवासियों के लिए) है। यदि धनराशि इससे अधिक है (प्रत्येक मामले में) तो भुगतान ट्रांसफर बैंक के माध्यम से किया जाना चाहिए।
- **बुल्गारिया:** सीमा 10000 लेव है। यदि लेन-देन इस सीमा से अधिक है तो उपभोक्ता को बैंक के माध्यम से भुगतान करना होगा।
- **यूनान:** 1500 यूरो तक की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर नकद भुगतान (वैट सहित) अनुमत है। इस सीमष के बाद भुगतान बैंक खातों, चेक या क्रेडिट/डेबिट कार्डों के माध्यम से किए जाएंगे।

कुछ देशों में नकद के स्थान पर कार्ड से भुगतान को प्रोत्साहन देने हेतु सिंगल प्री-पेड कार्ड को भी बढ़ावा दिया जा रहा है जैसा कि नीचे दिए बाक्स में दिया गया है:-

बाक्स-4: सिंगल प्री पेड कार्ड का प्रयोग

- **हांगकांग की आक्टोपस कार्ड पेमेंट प्रणाली:** दि हांगकांग मास ट्रांसिट रेलवेस ऑक्टोपस कार्ड स्वचालित किराया वसूली योजना के रूप में वर्ष 1997 में शुरू किया गया था। आरंभ में यह केवल सार्वजनिक परिवहन हेतु ही शुरू किया गया था। 1999 में खुदरा उद्योग ने भुगतान के एक साधन के रूप में इसका प्रयोग करना शुरू किया था। वर्तमान में ऑक्टोपस कार्ड विश्व की सर्वाधिक स्वीकृत कमर्शियल स्मार्ट कार्ड प्रणाली है जिसका प्रयोग हांगकांग की 99% जनसंख्या द्वारा किया जाता है।
- **साउथ कोरिया:** सार्वजनिक परिवहन की टिकट सेवाओं में सुधार हेतु टी-मनी की शुरुआत वर्ष 2004 में साउथ कोरिया में की गई। इसकी शुरुआत का मुख्य उद्देश्य किरायों के अंतरण को सुविधाजनक बनाना था। अब टी-मनी का प्रयोग कनविनियंस और फास्ट फूड स्टोरों, थीम पार्कों, संग्रहालयों, बुक स्टोरों, विश्वविद्यालयों, थियेटरों और सार्वजनिक सुविधाओं में कमर्शियल लेन-देन हेतु किया जा सकता है। नागरिक कर और अर्थदंड भरने तथा अन्य नागरिक सेवाओं के लिए भुगतान करने हेतु भी टी-मनीह्न का प्रयोग कर सकते हैं।

संयुक्त राज्य अमरीका में विशिष्ट पहचान संख्या का प्रयोग अत्यंत लोकप्रिय है जिसका प्रयोग यहां के नागरिकों को सामाजिक लाभ प्रदान करने हेतु किया जाता रहा है। विस्तृत विवरण नीचे दिए गए बाक्स में दिया गया है:-

बाक्स-5: विशिष्ट पहचान संख्या

संयुक्त राज्य अमरीका में, सामाजिक सुरक्षा संख्या (एसएसएन) जो नौ अंकों की एक संख्या है, वहां के नागरिकों की एक व्यक्तिगत पहचान निर्धारित करने के लिए जारी की गई थी। इसका आरंभ सामाजिक सुरक्षा प्रणाली में योगदान का लेखा रखने के एक उपाय के रूप में किया गया था। वर्तमान में ड्राइवर लाइसेंस, सार्वजनिक सहायता, रक्तदान करने या ऋण लेन के लिए एसएसएन को दर्शाए जाने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा कर विवरणी जमा करने के लिए कर पहचान संख्या (टीआईएन) के स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है।

कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था के समक्ष आने वाली चुनौतियां तथा उनके समाधान हेतु किए गए प्रयास

नकद और कागज आधारित भुगतानों के स्थान पर डिजिटल भुगतान प्रणाली अपनाने के अनेक लाभों के होते हुए भी, ऐसा करने में अनेक चुनौतियां हैं विशेष रूप से भारत में और ये इस प्रकार हैं-

गरीबी: भारत की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा आज भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रहा है। आय के नियमित स्रोत के अभाव में वे अत्यंत निम्न स्तर का जीवन जीते हैं। अत: डिजिटल भुगतानों को बढ़ावा देने में गरीबी बाधक रहती है। तथापि, डिजिटल भुगतान प्रणाली के लाभ निर्धन वर्ग तक पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा उनकी समस्या दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डायरेक्ट बैनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से लाभार्थियों को उनकी मजदूरी, लाभ तथा अन्य राज सहायता बिना किसी देरी, परेशानी या लीकेज के सीधे उनके खातों में अंतरित कर दी जाती है। प्रवासी मजदूर बहुत आसानी से और तुरंत अपने घर पैसा भेज सकते हैं। डिजिटल लेन-देन से खाताधारियों द्वारा कैश लेने तथा निर्धारित स्थान पर भुगतान प्राप्त करने के लिए जाने पर आने वाली लागत की भी बचत होती है, न केवल यात्रा खर्च बल्कि मजदूरी और आय के अवसरों की हानि भी कम होती है। इस प्रकार निर्धन वर्ग के लिए भी डिजिटल भुद्गतान उपयोगी, सुसंगत और लाभकारी हैं।

वित्तीय साक्षरता की कमी: वित्तीय साक्षरता का अर्थ वित्तीय विकल्पों को समझने की योग्यता, सुविचारित निर्णय लेना, भविष्य की योजना बनाना और बुद्धिमत्तापूर्ण व्यय करना है। किंतु भारत में जहां निरक्षरता ही बहुत अधिक है तो वित्तीय निरक्षरता तो और भी अधिक है, बुनियादी वित्तीय साक्षरता और जागरूकता की कमी डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने में एक प्रमुक बाधा है। तथापि, प्रधानमंत्री जन-धन योजना में करोड़ों भारतीय नागरिकों को अपने खाते खुलवाने और बैंकिंग सेवाओं का लाभ लेने में समर्थ बनाया है। इससे देश में जागरूकता और वित्तीय साक्षरता में वृद्धि हुई है। इसके अलावा वित्तीय साक्षरता में सुधार हेतु बैंक वित्तीय साक्षरता केन्द्रों और विशेष कैम्पों के माध्यम से वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण भी प्रदान कर रहे हैं।

अपर्याप्त भौतिक अवसंरचना: आधुनिक और बड़े पैमाने पर प्रयोग में लाई जा रही भुगतान और बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से विकसित देश डिजिटल भुगतान की प्रक्रिया हेतु एक भौतिक अवसंरचना पहले ही स्थापित कर चुके हैं। लेकिन भारत सहित कम आय वाली विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में, समाज के सभी वर्गों के लिए डिजिटल भुगतानों की व्यवस्था करने के लिए बैंकिंग तंत्र (विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में भौतिक अवसंरचना सघन है) के लिए पर्याप्त भौतिक नेटवर्क विकसित करना एक बड़ी चुनौती है। उदाहरण के लिए, भौगोलिकीय अंतर को देखते हुए यद्यपि विगत वर्षों में इंटरनेट की पहुंच बढ़ी है, फिर भी ग्रामीण भारत में अभी भी इंटरनेट कनेक्शनों की कमी है। इंटरनेट कनेक्शनों की संख्या बढ़ाने के लिए भौतिक अवसंरचना की समस्याओं का समाधान करने के लिए, सरकार लगभग 2,50,000 ग्राम पंचायतों को हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए भारतनेट्स को कार्यान्वित कर रही है। साथ ही, इंटरनेट संपर्क रहित क्षेत्रों में अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंटरी सर्विस डाटा (यूएसएसडी) प्लेटफार्म की शुरुआत की गई है, जिसमें *99# सेवा का उपयोग कर बेसिक/फीचर मोबाइल फोन के द्वारा डिजिटल भुगतान किए जा सकते हैं।

लघु और मध्यम उद्यम/छोटे खुदरा व्यापारी: भारतीय अर्थव्यवस्था काफी हद तक अनौपचारिक क्षेत्र पर निर्भर करती है और कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है जो कि स्थानीय श्रम, उत्पादों और कच्चे माल के लिए भी नकदी पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। इसके अतिरिक्त, छोटे खुदरा व्यापारियों का भारतीय बाजारों में वर्चस्व है, जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक भुगतान अवसंरचना में निवेश करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, सरकार ने विभिन्न डिजिटल भुगतान समाधानों जैसे यूएसएसडी, यूनीफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई), भीम ऐप, भीम आधार पे और भारत क्यू आर (क्विक रिकॉगनिशन) कोड की शुरुआत की है ताकि विक्रय केन्द्रों पर कम लागत वाली इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट अवसंरचना प्रदान की जा सके।

लेन-देन प्रभार: लेन-देन प्रभार, वार्षिक शुल्क अथवा सुविधा शुल्क का भुगतान कार्ड रखने हेतु किया जाता है जो कि अधिक कार्ड रखने और कार्ड भुगतानों के अधिक उपयोग में बाधा उत्पन्न करता है। तथापि, यह देखते हुए कि डिजिटल लेन-देन के द्वारा किसी भी समय और कहीं भी भुगतान किया जा सकता है, लेन-देन करने वाले डिजिटल लेन-देन से प्राप्त होने वाले लाभों के लिए डिजिटल लेन-देन का विकल्प चुनते हैं।

निजता: नकदी रहित लेन-देन में सदा कोई मध्यस्थ अथवा तीसरा पक्ष शामिल रहता है, जिससे निजता, व्यक्तिगत लेन-देन और रिकार्ड तक पहुंच का खतरा उत्पन्न होता है। तथापि, डिजिटल लेन-देन में संभावित खतरे का संज्ञान लेते हुए संवेदनशील व्यक्तिगत डाटा अथवा सूचना, जिसमें बैंक खाता अथवा क्रेडिट कार्ड अथवा डेबिट कार्ड अथवा अन्य भुगतान साधनों के ब्यौरों की निजता की सुरक्षा के लिए (सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत) सूचना प्रौद्योगिकी (रीजनेबल सिक्यूरिटी प्रैक्टिसेज एंड प्रोसिजर्स एंड सेंसिटिव पर्सनल डाटा और इन्फार्मेशन) नियम, 2011 बनाए गए हैं।

साइबर सुरक्षा: नकदी को साथ में रखने से व्यक्ति की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होता है तथा आपराधिक गतिविधियों की संभावना रहती है, जबकि साइबर अपराधों के बढ़ते परिष्करण को देखते हुए डिजिटल भुगतान प्रणाली के संबंध में साइबर सुरक्षा के प्रति कहीं ज्यादा खतरा उत्पन्न होता है जिसमें माउस के सिर्फ एक क्लिक पर डिजिटल रूप में रखी गई धन-सम्पत्ति को चुराया जा सकता है। यह मानते हुए कि धोखाधड़ी और साइबर हमलों से सुरक्षा के लिए एक विश्वसनीय भुगतान प्रणाली और सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के लिए साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क और प्री-पेमेंट साधन (वॉलेट) जारीकर्त्ताओं के लिए साइबर सुरक्षा निर्देश जारी किए हैं। सीईआरटी-आईएन नवीनतम साइबर जोखिमों/सुभेद्यताओं और प्रतिरक्षा उपायों के संबंध में वित्तीय संस्थाओं को चेतावनियां और परामर्श जारी करता है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय क्षेत्र के सभी विनियामकद्यों और अन्य हितधारकों के साथ पूर्ण समन्वय करते हुए कार्य करने के लिए वित्तीय क्षेत्र हेतु एक कम्प्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम (सीईआरटी-एफआईएन) के गठन के संबंध में एक समिति बनाई गई है।

ग्राहकों की धारणा: भारत में ऐसा माना जाता है कि नकदी साथ रखने से आप बेहतर तरीके से मोलभाव कर सकते हैं। कार्ड की तुलना में नकदी को लेन-देन का त्वरित तरीका माना जाता है। कार्ड और नकदी उपयोग करने वाले अधिकतर लोगों को यह डर सताता है कि यदि वे कार्ड का उपयोग करेंगे तो उनसे अधिक पैसा लिया जाएगा। यद्यपि इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि विगत कुछ वर्षों में डिजिटल लेन-देन की संख्या में काफी वृद्धि हुई है।

निष्कर्ष

भारत की सामाजिक-आर्थिक विशेषताओं को देखते हुए, डिजिटल भुगतानों की आर्थिक प्रणाली को प्रोत्साहित करना चुनौतीपूर्ण है और यह ई-भुगतानों, सुदृढ़ ऑनलाईन बैंकिंग तंत्रों, नकदी रहित लेन-देन को प्रोत्साहित करने और देशव्यापी डिजिटल लेन-देन तंत्र के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए एक रोडमैप की आवश्यकता को दर्शाता है। विमुद्रीकरण के बाद डिजिटल भुगतान में हुई वृद्धि को वर्तमान की चुनौतियों और भविष्य की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए सभी हितधारकों के पूर्ण समर्थन की आवश्यकता है। जैसे-जैसे अवसरों में वृद्धि होती है, वैसे ही चुनौतियां भी बढ़ती हैं। सामने वास्तविक और जटिल अवरोध हैं जिनका समाधान किया जाना है ताकि भारत को एक नकदी रहित समाज के रूप में परिवर्तित किया जा सके। भुगतान परिदृश्य की नई कंपनियों द्वारा प्रौद्योगिकी को अपनाए जाने के लिए विनियामक ढांचों को संशोधित और अद्यतन बनाया जा रहा है। ऐसे में सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाए जा सकने वाली डिजिटल अवसंरचना के विकास और प्रदाताओं के बीच अंतर-संचालनात्मकता और प्रतिस्पर्धा तथा नागरिकों के बीच वित्तीय क्षमता भी सुनिश्चित करने के लिए निजी क्षेत्र के साथ सहयोग कर सकती है। यद्यपि, पूर्णतया नकदी रहित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर होने के लिए समय लगेगा, तथापि, क्रमिक कदम लोगों का विश्वास जीत सकते हैं और मध्यम अवधि में भारत को एक कम नकदी का प्रयोग करने वाले समाज में परिवर्तित कर सकते हैं।

संदर्भ

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, अर्थिक मामले विभाग: केन्द्रीय बजट, 2017-18

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामले विभाग, मुद्रा और सिक्का निर्माण प्रभाग; दिनांक 29 फरवरी, 2016 का ''कार्ड और डिजिटल माध्यमों के द्वारा भुगतानों को प्रोत्साहन'' संबंधी कार्यालय ज्ञापन।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, डिजिटल भुगतानों संबंधी समिति (2016): डिजिटल भुगतान परिवेश को सुदृढ़ करने के लिए मध्यम अवधि की अनुशंसाएं।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग; भारत में भुगतान और निपटान प्रणालियां: विजन-2018

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारत में भुगतान प्रणालियां स्थापित और संचालित करने हेतु आरबीआई द्वारा भुगतान और निपटान प्रणालियां अधिनियम, 2007 के अंतर्गत जारी प्राधिकार प्रमाणपत्र, 4 मई, 2017

विश्व बैंक (2014); दि अपॉरच्यूनिटिज ऑफ डिजिटाइजिंग पेमेंट्स-ए रिपोर्ट बाइ दि वर्ल्ड बैंक डेवेलपमेंट रिसर्च ग्रुप, दि बेटर देन कैश एलाएंस एंड दि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (मार्च, 2017); एलेक्सेइ किरयेव द्वारा दि मैक्रोइकोनॉमिक्स ऑफ डी-कैशिंग संबंधी आईएमएफ वर्किंग पेपर (डब्ल्यूपी/17/71)

शर्मा, मनोरंजन; ''इंडिया मस्ट मूव टूवार्डस ए लेस-कैश फ्यूचर: हिअर इज व्हाई एन ई-पेमेंट्स रोडमैप इज क्रिटिकल'', फाइनिंशियल एक्सप्रेस, 3 अप्रैल, 2017

देस्जार्दिन, जेफ: ''दि ग्लोबल वार ऑन कैश'', 27 जनवरी, 2017, http://www.visualcapitalist.com/global-war-cash/

सिंह, अजेया; ''टूवार्ड्स ए लेस-कैश इकोनॉमी: फ्रॉम ए डिस्क्रिशनरी एडमिनिस्ट्रेशन टू ए पॉलिसी-बेस्ड वन'' बिजनेस ऑपीनियन, 13 फरवरी,, 2017

संसद के सदस्यों के उपयोग और जानकारी हेतु लोक सभा सचिवालय के शोध और सूचना प्रभाग के आर्थिक और वित्तीय कार्य स्कंध द्वारा वित्त तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालयों; एवं नीति आयोग और अन्य प्रकाशित स्रोतों से प्राप्त जानकारी के आधार पर तैयार किया गया। इनसका हिन्दी संस्करण अनुवाद (प्रकाशन) शाखा द्वारा तैयार किया गया।